



# कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

## झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01 / यो0ब0-49 / 2015 (खण्ड-6)-1141

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/  
वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला/  
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/  
वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/  
वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूंटी वन प्रमंडल, खूंटी।

दिनांक :—28.10.2015

विषय :—

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली “भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल 375.181 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख अठारह हजार एक सौ रुपये) मात्र का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :—

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 / यो0बजट-53 / 2015-20 / स्वी0 व0 प0 दिनांक—26.06.2015 एवं आ0आ0संख्या—04 / यो0बजट-53 / 2015-49 अ0व0प0 दिनांक—01.07.2015।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली “भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल 375.181 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख अठारह हजार एक सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 / यो0बजट-53 / 2015-20 / स्वी0 व0 प0 दिनांक—26.06.2015 एवं आ0आ0संख्या—04 / यो0बजट-53 / 2015-49 अ0व0प0 दिनांक—01.07.2015 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :—

| (राशि लाख में)  |   |               |                    |             |
|-----------------|---|---------------|--------------------|-------------|
| क्र0 सं0        | शीर्ष का नाम                            | प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड         | आवंटित राशि |
| 1               | 796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना           | मजदूरी        | 19P240601796060103 | 357.668     |
|                 | उप शीर्ष 06—भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना |               | 19P240601796060323 | 17.513      |
| कुल आवंटित राशि |   |               |                    | 375.181     |



अर्थात् कुल 375.181 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख अठारह हजार एक सौ रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित कुल 375.181 लाख (तीन करोड़ पचहत्तर लाख अठारह हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वयन की जानेवाली “भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना” (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01-वानिकी लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 06-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट-2(क), 2(ख) एवं 2(ग) में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. वन प्रमंडलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 से अधिसूचित समिति द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर पर तैयार किया गया है तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी है। जिसकी प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को प्राप्त है। तदनुसार वर्ष 2015-16 के लिये राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. उप—आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।
10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम—300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।
11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या—2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं—2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय “स्थल विशेष प्राक्कलन” योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।
16. योजना के अन्तर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदंडों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

17. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।
18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षावार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम भजदूरी पर के अनुरूप किया जायेगा।
20. आवंटित राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
21. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या—301 दिनांक—11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
22. तकनीकी स्वीकृत प्रावक्कलन में उल्लेखित कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता को वनपाल, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से वनरोपण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में जारी संकल्प संख्या—2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या—819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।
23. कटबैक, कॉपिसिंग कार्यों में प्राप्त जलावन को स्थानीय ग्रामीणों के बीच पारदर्शी तरीके से वन व्यवस्था पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप वितरित करेंगे।
24. प्रवेश बिन्दु कार्यों का प्रावक्कलन अलग से समर्पित करेंगे, जिसपर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
25. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शार्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
26. प्रावक्कलन में अंकित प्रजातियाँ रोपी जाएगी। वनरोपण में Mono Culture के स्थान पर मिश्रित प्रजातियाँ का वनरोपण किया जाएगा तथा एक प्रजाति का वनरोपण में प्रतिशत 40 से अधीक नहीं होगा।
27. अनुमोदित योजना एवं प्रावक्कलन में किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाय एवं स्वीकृत मापदण्ड के अनुरूप ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

28. वनरोपण स्थल पर साईनबोर्ड लगायी जायेगी जिसपर आवश्यक सूचना के साथ मजदूरी का दर भी अंकित की जाय एवं न्यूनतम मजदूरी पर का भुगतान सुनिश्चित करायी जाय।
29. कार्य की गुणवत्ता एवं वनरोपण की सफलता वन प्रमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। अतः यह अवश्य सुनिश्चित की जाय कि उपलब्ध राशि का सदुपयोग हो।
30. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगे।
31. प्रवेश विन्दु कार्य के अन्तर्गत ग्राम वन प्रबंधन में राशि की उपलब्धता के आधार पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव के अनुसार सामूहिक व्यवहार हेतु ग्राम वन प्रबंधन भवन, सौर्य ऊर्जा से गाँव का प्रकाश किरण, ग्रामीण पेयजल सुविधा, सार्वजनिक सिंचाई सुविधा आदि प्राथमिकता से क्रियान्वयन किया जाएगा।
32. इस योजना के अन्तर्गत किये गये ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-1, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-2 (क), 2(ख) एवं 2(ग) पर संलग्न हैं।

विश्वासभाजन,


अनुलग्नक :— यथोक्त।

४०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—०१/यो०ब०-४९/२०१५ (खण्ड-६)- ११४१ , राँची, दिनांक :—२८.१०.२०१५

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीसी सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।



राजस्व भवन

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के भागमें अंकित राशि आवंटित की जाती हैं।

पत्र संख्या - 01/yb-49/2015-1/1141

दिनांक -

28-Oct

| क्रमांक | विषय कोड   | एक्सेस नं। | निकासी एवं व्यवहन पदा.   | आवंटित राशि   |
|---------|--|------------|--|---|
| 1       | P 19 240601796060103<br>2406 . वानिकी तथा बन्ध जीवन<br>01 . वानिकी<br>796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना<br>06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना<br>01 . वेतन एवं श्री<br>03 . मजदूरी | 71983      | DRNFWL013<br>RAJIV LOCHAN BAKSHI<br>DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA | 7,493,900.00<br>रुपये चौहत्तर लाख तिरनाथे हजार तीन सौ |
| 2       | P 19 240601796060103<br>2406 . वानिकी तथा बन्ध जीवन<br>01 . वानिकी<br>796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना<br>06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना<br>01 . वेतन एवं श्री<br>03 . मजदूरी | 71984      | GMLFOR001<br>AJIT KUMAR SINGH<br>D.F.O. GUMLA                      | 6,220,300.00<br>रुपये बासठ लाख बास हजार तीन सौ        |
| 3       | P 19 240601796060103<br>2406 . वानिकी तथा बन्ध जीवन<br>01 . वानिकी<br>796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना<br>06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना<br>01 . वेतन एवं श्री<br>03 . मजदूरी | 71985      | SDGFOR002<br>TAJBIR BHAGAT<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD       | 9,085,400.00<br>रुपये नब्बे लाख पिछवासी हजार चार सौ   |
|         |  |            |  | 22,799,600.00   |

योग:

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड़ सत्ताइस लाख निनानवे हजार छ: सौ

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL.PCCF,DEV.JHARKHAND

| क्रमांक   | विषय कोड  | एक्सेस नं० | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि  |
|---|---|------------|--|--|
| 4   | P 19 240601796060103<br>2406 . वानिकी तथा बन्य जीवन<br>01 . वानिकी<br>796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोगजना<br>06 . भू-संरक्षण एवं बन रोपण योजना<br>01 . वेतन एवं श्री<br>03 . मजदूरी               | 71986      | LDGFOR001<br>DR.KRISHNA DEO<br>PRASAD SAHU<br>DIV.FOREST OFFICER     | 10,941,500.00<br>रुपये एक करोड़ नौ लाख इकालीस हजार पाँच से |
| 5   | P 19 240601796060103<br>2406 . वानिकी तथा बन्य जीवन<br>01 . वानिकी<br>796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोगजना<br>06 . भू-संरक्षण एवं बन रोपण योजना<br>01 . वेतन एवं श्री<br>03 . मजदूरी               | 71987      | RNCFOR001<br>A.K. GUPTA<br>D.F.O KHUNTI                              | 2,025,700.00<br>रुपये बीस लाख पचास हजार सात                |
| 6   | P 19 240601796060323<br>2406 . वानिकी तथा बन्य जीवन<br>01 . वानिकी<br>796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोगजना<br>06 . भू-संरक्षण एवं बन रोपण योजना<br>03 . प्रशासनिक व्यय<br>23 . आपूर्ति एवं सामग्री | 71988      | DRNFWL001<br>RAJIV LOCHAN BAKSHI<br>DFO. RANCHI FORES<br>DIVISION RA | 344,800.00<br>रुपये तीन लाख चावालीस हजार आठ                |
| 7   | P 19 240601796060323<br>2406 . वानिकी तथा बन्य जीवन<br>01 . वानिकी<br>796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोगजना<br>06 . भू-संरक्षण एवं बन रोपण योजना<br>03 . प्रशासनिक व्यय<br>23 . आपूर्ति एवं सामग्री | 71989      | GMLFOR001<br>AJIT KUMAR SINGH<br>D.F.O. GUMLA                        | 243,000.00<br>रुपये दो लाख तीरयालीस हजार                   |
| योग:  |   |            |  | 13,555,000.00  |
| क्रिक्ट योग:  |   |            |  | 36,354,600.00  |
| <p style="text-align: center;">(SHRIY.K.SINGH CHAUHAN IPS)</p> <p style="text-align: center;">ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND</p> <p style="text-align: center;">RANCHI</p> |   |            |  |  |

| क्रमांक  | विपन्न कोड   | एक्सेस नं० | निकासी एवं व्यवहन पदा.   | आवंटित राशि                                 |
|--|--|------------|--|---|
| 8  | P 19 240601796060323<br>2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन<br>01 . वानिकी<br>796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना<br>06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना<br>03 . प्रशासनिक व्यय<br>23 . आपूर्ति एवं सामग्री | 71990      | SDGFOR002<br>TAJBIR BHAGAT<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD     | 409,800.00<br>रुपये चार लाख तौ हजार आठ से   |
| 9  | P 19 240601796060323<br>2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन<br>01 . वानिकी<br>796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना<br>06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना<br>03 . प्रशासनिक व्यय<br>23 . आपूर्ति एवं सामग्री | 71991      | LDGFOR001<br>DR.KRISHNA DEO<br>PRASAD SAHU<br>DIV.FOREST OFFICER | 640,700.00<br>रुपये छ. लाख चालीस हजार सत रु |
| 10   | P 19 240601796060323<br>2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन<br>01 . वानिकी<br>796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना<br>06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना<br>03 . प्रशासनिक व्यय<br>23 . आपूर्ति एवं सामग्री | 71992      | RNCFOR001<br>A.K. GUPTA<br>D.F.O KHUNTI                          | 113,000.00<br>रुपये एक लाख तेरह हजार        |
| योग:   |  |            |  | 1,163,500.00                                |
| क्रमिक योग:  |  |            |  | 37,518,100.00                               |
| <p style="text-align: center;">रुपये तीन करोड़ पचाहततर लाख अठारह हजार एक सौ</p> <p style="text-align: center;">(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN (IFS))</p> <p style="text-align: center;">ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND</p> |  |            |  |   |

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमाणलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

| क्रम सं०          | कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | स्थल का नाम | कार्य               | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय वर्ष 2015-16 |                     |         |  |  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------|--|--|
|                   |                                       |             |                     |              | मजदूरी               | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल     |  |  |
| i                 | ii                                    | iii         | iv                  | v            | vi                   | vii                 | viii    |  |  |
| <b>राँची रीजन</b> |                                       |             |                     |              |                      |                     |         |  |  |
| 1                 | राँची वन प्रमण्डल, राँची              | कुसुम टिकरा | अग्रिम कार्य        | 50           | 17.406               | 0.750               | 18.156  |  |  |
|                   |                                       |             | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 5.101                | 0.409               | 5.510   |  |  |
| <b>योग :-</b>     |                                       |             |                     | 50           | 22.507               | 1.159               | 23.666  |  |  |
| 2                 | राँची वन प्रमण्डल, राँची              | सिरम        | अग्रिम कार्य        | 50           | 27.463               | 0.750               | 28.213  |  |  |
|                   |                                       |             | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 6.743                | 0.409               | 7.152   |  |  |
| <b>योग :-</b>     |                                       |             |                     | 50           | 34.206               | 1.159               | 35.365  |  |  |
| <b>कुल योग :-</b> |                                       |             |                     | 100          | 56.713               | 2.318               | 59.031  |  |  |
| 3                 | गुमला वन प्रमण्डल, गुमला              | चरकाटांगर   | अग्रिम कार्य        | 30           | 14.913               | 0.450               | 15.363  |  |  |
|                   |                                       |             | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 3.906                | 0.200               | 4.106   |  |  |
| <b>योग :-</b>     |                                       |             |                     | 30           | 18.819               | 0.650               | 19.469  |  |  |
| 4                 | गुमला वन प्रमण्डल, गुमला              | मसगांव      | अग्रिम कार्य        | 30           | 14.814               | 0.450               | 15.264  |  |  |
|                   |                                       |             | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 3.919                | 0.200               | 4.119   |  |  |
| <b>योग :-</b>     |                                       |             |                     | 30           | 18.733               | 0.650               | 19.383  |  |  |
| <b>कुल योग :-</b> |                                       |             |                     | 60           | 37.552               | 1.300               | 38.852  |  |  |
| 5                 | सिमडेगा वन प्रमण्डल,<br>सिमडेगा       | मेरामडेगा   | अग्रिम कार्य        | 50           | 24.429               | 0.750               | 25.179  |  |  |
|                   |                                       |             | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 6.266                | 0.409               | 6.675   |  |  |
| <b>योग :-</b>     |                                       |             |                     | 50           | 30.695               | 1.159               | 31.854  |  |  |
| 6                 | सिमडेगा वन प्रमण्डल,<br>सिमडेगा       | तिनसोगडा    | अग्रिम कार्य        | 30           | 13.180               | 0.450               | 13.630  |  |  |
|                   |                                       |             | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 3.651                | 0.200               | 3.851   |  |  |
| <b>योग :-</b>     |                                       |             |                     | 30           | 16.831               | 0.650               | 17.481  |  |  |
| 7                 | सिमडेगा वन प्रमण्डल,<br>सिमडेगा       | चारमुर्जा   | अग्रिम कार्य        | 40           | 16.793               | 0.750               | 17.543  |  |  |
|                   |                                       |             | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 4.687                | 0.409               | 5.096   |  |  |
| <b>योग :-</b>     |                                       |             |                     | 40           | 21.480               | 1.159               | 22.639  |  |  |
| <b>कुल योग :-</b> |                                       |             |                     | 120          | 69.006               | 2.968               | 71.974  |  |  |
| 8                 | लोहरदगा वन प्रमण्डल,<br>लोहरदगा       | झालजमीरा    | अग्रिम कार्य        | 50           | 20.456               | 0.750               | 21.206  |  |  |
|                   |                                       |             | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 5.502                | 0.409               | 5.911   |  |  |
| <b>योग :-</b>     |                                       |             |                     | 50           | 25.958               | 1.159               | 27.117  |  |  |
| 9                 | लोहरदगा वन प्रमण्डल,<br>लोहरदगा       | सून्दरु     | अग्रिम कार्य        | 50           | 20.644               | 0.750               | 21.394  |  |  |
|                   |                                       |             | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 5.532                | 0.409               | 5.941   |  |  |
| <b>योग :-</b>     |                                       |             |                     | 50           | 26.176               | 1.159               | 27.335  |  |  |
| <b>कुल योग :-</b> |                                       |             |                     | 100          | 52.134               | 2.318               | 54.452  |  |  |
| <b>सकल योग :-</b> |                                       |             |                     | 380          | 215.405              | 8.904               | 224.309 |  |  |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास

झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली मूः-संरक्षण एवं बनरोपण योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत मूः-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमाणलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

| क्रम सं०          | कार्यालय/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | स्थल का नाम    | कार्य               | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय वर्ष 2015-16 |                     |         |  |  |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------|--|--|
|                   |                                      |                |                     |              | मजदूरी               | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल     |  |  |
| i                 | ii                                   | iii            | iv                  | v            | vi                   | vii                 | viii    |  |  |
| <b>राँची रीजन</b> |                                      |                |                     |              |                      |                     |         |  |  |
| 1                 | राँची वन प्रमण्डल, राँची             | कुतरा          | अग्रिम कार्य        | 30           | 13.963               | 0.717               | 14.680  |  |  |
|                   |                                      |                | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 4.263                | 0.413               | 4.676   |  |  |
| योग :-            |                                      |                |                     | 30           | 18.226               | 1.130               | 19.356  |  |  |
| 2                 | खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी             | जलटंडा (सुआरी) | अग्रिम कार्य        | 30           | 15.799               | 0.717               | 16.516  |  |  |
|                   |                                      |                | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 4.458                | 0.413               | 4.871   |  |  |
| योग :-            |                                      |                |                     | 30           | 20.257               | 1.130               | 21.387  |  |  |
| 3                 | लोहरदगा वन प्रमण्डल,<br>लोहरदगा      | चारकाखाड़      | अग्रिम कार्य        | 30           | 15.157               | 0.717               | 15.874  |  |  |
|                   |                                      |                | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 4.440                | 0.413               | 4.853   |  |  |
| योग :-            |                                      |                |                     | 30           | 19.597               | 1.130               | 20.727  |  |  |
| 4                 | गुमला वन प्रमण्डल, गुमला             | नौडीहा         | अग्रिम कार्य        | 30           | 19.453               | 0.717               | 20.170  |  |  |
|                   |                                      |                | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 5.198                | 0.413               | 5.611   |  |  |
| योग :-            |                                      |                |                     | 30           | 24.651               | 1.130               | 25.781  |  |  |
| 5                 | सिमडेगा वन प्रमण्डल,<br>सिमडेगा      | टकबा           | अग्रिम कार्य        | 30           | 17.028               | 0.717               | 17.745  |  |  |
|                   |                                      |                | प्रवेश विन्दु कार्य |              | 4.820                | 0.413               | 5.233   |  |  |
| योग :-            |                                      |                |                     | 30           | 21.848               | 1.130               | 22.978  |  |  |
| सकल योग :-        |                                      |                |                     | 150          | 104.579              | 5.650               | 110.229 |  |  |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास

झारखण्ड, राँची।

अनु०-२ (ग)

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमङ्गलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

| क्रम सं०          | कार्यालय / निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी | स्थल का नाम | कार्य                               | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय वर्ष 2015-16 |                     |                  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------------|
|                   |                                       |             |                                     |              | मजदूरी               | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल              |
| i                 | ii                                    | iii         | iv                                  | v            | vi                   | vii                 | viii             |
| <b>राँची रीजन</b> |                                       |             |                                     |              |                      |                     |                  |
| 1                 | लोहरदगा वन प्रमङ्गल,<br>लोहरदगा       | घाघरा       | अग्रिम कार्य<br>प्रवेश विन्दु कार्य | 60           | 26.821<br>10.863     | 2.928<br>0.031      | 29.749<br>10.894 |
| योग :-            |                                       |             |                                     | 60           | 37.684               | 2.959               | 40.643           |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।